





कार्यालय जिला जजी टिहरी गढवाल

माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 18-3-2019 एवं केन्द्रीय साध्यपाल के स्पष्टीकरण पर माननीय जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 8-4-2019 से केन्द्रीय साध्यपाल को बिना सीलबन्द लिफाफे मे कोटेशन प्राप्त करने पर भविष्य के लिए चेतावनी एवं कमेटी को दोबारा कोटेशन आमन्त्रित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए आदेशित किया गया है । इस सम्बन्ध में आज दिनांक 10-4-19 को कमेटी की बैठक आयोजित हुई , आज केन्द्रीय साध्यपाल द्वारा अपनी आख्या प्रस्तुत की गई आख्या के अनुसार जिला न्यायालय मुख्यालय नई टिहरी के विभिन्न भवनों पर 39 अग्निशमन यन्त्रों एवं दूरस्थ न्यायालयों कीर्तिनगर के 8 अग्नि शमन यन्त्र एवं नरेन्द्रनगर के 9 अग्निशमन यन्त्र कुल मिला कर 56 अग्निशमन यन्त्रों की रिफिलिंग की जानी है । बैठक में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया की अग्निशमन यन्त्रों की रिफिलिंग हेतु सर्व साधारण को व्यापक प्रचार प्रसार , न्यायालय की वेवसाइड एवं सूचना को सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा विधि द्वारा सूचना दी जाये की अग्निशमन यन्त्रों की रिफिलिंग हेतु इच्छुक फर्म /व्यक्ति अपने कोटेशन आज की तिथि से एक सप्ताह के भीतर जिला न्यायालय की केन्द्रीय नजारत नई टिहरी मे प्रस्तुत करे।


वरिष्ठ कोषाधिकारी
नई टिहरी टि0ग0


सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
टिहरीगढवाल


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
टिहरी गढवाल ।


अपर जिला न्यायाधीश
टिहरीगढवाल ।